

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
—:: मंत्रालय ::—
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 1350/PFMS/ब-4/चार,
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/ 12/2021

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :- पी.एफ.एम.एस. के क्रियान्वयन के संबंध में।


संदर्भ :- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, का ज्ञापन क्र. F.No.1(13)PFMS/ FCD/2020, dated 23-09-2021 एवं 24-11-2021

-----000-----

भारत सरकार वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन No.1(13)PFMS/ FCD/2020, dated 24-11-2021 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु संशोधित प्रक्रिया अनुसार SNA (Single Nodel Account) खोलने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिए केवल एक ही State Linked Scheme (SLS) PFMS अंतर्गत रखे जाने हेतु तथा जहां किसी केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत एक से अधिक Components की निगरानी की आवश्यकता होगी वही एक CSS के लिए एक से अधिक SLS मान्य किये जाने का लेख है।

संदर्भित पत्र 24-11-2021 आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(ऋषभ पराशर)


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 1351/PFMS/ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/ 12/2021

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय
2. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. राज्य नोडल अधिकारी (एस.पी.एम.यू.) पी.एफ.एम.एस., प्रथम तल, ब्लॉक-1, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर


उप सचिव 14/12/2021.

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

